Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 106/2025

श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री परम सिंह तोमर, — परिवादी
निवासी– ग्राम पपडियान,
पो०ओ० कटापत्थर वाया,
डाकपत्थर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 05.03.2026
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं ग्राम पपडियान का निवासी हूँ। मेरे घर पर विद्युत संयाजन पूर्व से लगा है, जिसमें मीटर संख्या 5371 है तथा संयोजन संख्या 68120405295 है जिसकी पिछली रीडिंग 6059 थी तथा वर्तमान रीडिंग 6098 है जो कि दिनांक 21.06.2025 से दिनांक 16.07.2025 तक है जिसका बिल 39 यूनिट का रू० 224.25 का प्रार्थी को कुल 490 रूपये बिल आया है। महोदय मीटर खराब हो जाने के कारण अब मीटर में इस समय 32286 यूनिट रीडिंग दिखा रहा है जो कि गलत है। महोदय जब प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.09.2025 को रीडिंग चैक किया गया तो बगैर उपभोग किये ही 100 यूनिट बिल दिखा रहा है जो कि गलत है। अतः आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थी के खराब मीटर को बदलने व नया गलत रीडिंग को समायोजित कराने की कृपा करें। पुरानें बिलों के आधार*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन,, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

मानकर उक्त गलत आयी रीडिंग को समायोजित करने की कृपा करें, ताकि प्रार्थी अनावश्यक गलत रीडिंग के बिल से बच सकें। आपकी महान कृपा होगी।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 17, दिनाकित 03/01/2026 से मंच को **निम्नवत अवगत** कराया है:–

1. *"परिवादी का संयोजन घरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-25/Small Non-Domestic Upto 4KW में 05 नवम्बर 2015 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं० VN64120405295 है।*
2. *परिवादी के परिसर पर दिनांक 24.12.2025 को मीटर बदला गया।*
3. *परिवादी का वर्तमान बिल कुल रू० 960.00 है।*

   अतः आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य पत्रांक संख्या 436 दिनांकित 21/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री परम सिंह तोमर, निवासी– पपडियान, पो०ओ० कटापत्थर, डाकपत्थर, देहरादून की MRI रिपोर्ट मा० मंच के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या VN64120405295 का वर्तमान बिल (बिल माह 12/2025) रू0 960.00 हैं।

परिवादी का मीटर दिनांक 24.12.2025 को बदला गया, सीलिंग प्रमाण पत्र में विपक्षी ने उल्लेख किया कि पुराना मीटर जंप किया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा नये मीटर संख्या 70818024 की वास्तविक खपत (5 यूनिट) एवं पुराने मीटर की औसत खपत (35 यूनिट) कुल 40 यूनिट का माह 01/2026 का बिल रू0 788.00 परिवादी को निर्गत किया है, जो कि मंच का मानना है कि ठीक है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

5-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(रजनीश माथुर) 05/03/26
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 113/2025

श्री दीपक शरण अग्रवाल,
निवासी– 114 चन्द्र नगर,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 10.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी के परिसर पर स्थित विद्युत संयोजन संख्या CD67616224021 चल रहा है, जिसका प्रयोग प्रार्थी एक छोटी सी बेकरी का सामान को विक्रय करने हेतु करता है। महोदय को उक्त संयोजन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी के संयोजन पर दिनांक 09.06.2025 को व 13.11.2025 को निर्गत बिलों में आसामान्य खपत दर्शाते हुए क्रमशः रू० 16137.00 व रू० 28101.00 पर जारी किये गये जिसके उपरान्त प्रार्थी द्वारा उपखण्ड पटेल रोड देहरादून से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि मीटर खराब है व रीडिंग को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि प्रार्थी के दुकान पर सीमित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जोकि प्रार्थी की पूर्व खपत से सत्यापित होता है प्रार्थी द्वारा स–समय बिल जमा किया जाता है। प्रार्थी बिल प्राप्त करने के तुरन्त बाद यू०पी०सी०एल० के उपखण्ड व खण्ड कार्यालय के कई चक्कर लगा चुका है परन्तु प्रार्थी की सुनवाई कही नही हो रही है। प्रार्थी निम्न परिवार से आता है व आय का साधान बहुत सीमीत है। प्रार्थी*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आपको यह भी ज्ञात कराना चाहता है कि यू०पी०सी०एल० द्वारा बिजली काटने की धमकियाँ दी जा रही है जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से बहुत परेशान व पीडित है। अतः प्रार्थी आपके पैरों पर नतमस्तक है और न्याय की आपेक्षा करता है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 17, दिनांकित 09/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता का विद्युत बिल मीटर रीडिंग के आधार पर ही मीटर रीडर द्वारा निर्गत किया गया था, एवं मीटर रीडर द्वारा अपने बाइन्डर में उपभोक्ता के प्रति माह की रीडिंग टिप्पणी की गयी है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता को विद्युत बिल की प्राप्ति के बाद उपखण्ड कार्यालय पटेल रोड में अपने विद्युत बिल को लेकर जब अवगत कराया गया था, एवं जिसके उपरांत लाइनमैन को उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग लेने को कहा गया था, जिसके उपरांत लाइनमैन द्वारा स्थलीय निरक्षण कर अवगत कराया गया की उपभोक्ता का मीटर जल चुका है। मीटर रीडर के द्वारा उपने बाइन्डर की छायाप्रतिलिपि एवं शपथ पत्र भी दिया गया है। एवं उपखण्ड कार्यालय पटेल रोड के पत्रांक संख्या 514 वि.वि.उ.खण्ड/पटेल रोड/धामावाला/देहरादून दिनांक 24.12.2025को सहायक अभियन्ता मीटर, विद्युत परिक्षण शाला केन्द्रीय, 18 ई.सी.रोड, देहरादून को उपभोक्ता के मीटर की मीटर रीडिंग उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें सहायक अभियन्ता मीटर, विद्युत परिक्षण शाला केन्द्रीय, 18 ई.सी.रोड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक संख्या 230 (A) दिनांक 02.01.2026 में अवगत कराया की उपभोक्ता का मीटर जला हुआ है, जिस कारण उसकी एम०आर०आई० अथवा रीडिंग ज्ञात किया जाना संभव नहीं हो सका था, तथा उक्त मीटर पूर्व में ही स्टोर आराघर को स्क्रेप में भेज दिया गया था, जिसके उपरांत का बिल संशोधित किया जाना संभव नहीं है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 57, दिनांकित 03/02/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है *"कि सहायक अभियन्ता मीटर, विद्युत परिक्षण शाला केन्द्रीय, 18 ई.सी.रोड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक संख्या 230 (A) दिनांक 02.01.2026 में अवगत कराया की उपभोक्ता का मीटर जला हुआ है, जिस कारण उसकी एम०आर०आई० अथवा रीडिंग ज्ञात किया जाना संभव नहीं हो सका था, तथा उक्त मीटर पूर्व में ही स्टोर आराघर को स्क्रेप में भेज दिया गया था, जिसके उपरांत उपभोक्ता का बिल संसोधित किया जाना संभव नहीं है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 09/05/2025 से 13/08/2025 (मीटर बदलने की तिथि) अर्थात् 97 दिनों का पुराने विद्युत मापक संख्या 15066416 का विद्युत बिल कुल 4377 (3303–1005 +2079) यूनिट का प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद। विपक्षी द्वारा दो विद्युत बिल चक्रों (09/06/2025 से 13/11/2025 तक) में पुराने मीटर संख्या 15066416 में दर्शायी गयी 4377 यूनिट की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी की पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 45.12 अर्थात् 45 (4377/97) यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कंज्यूमर हिस्ट्री से भी स्पष्ट है कि मीटर संख्या 15066416 बदले जाने की तिथि में उक्त मीटर की अंतिम रीडिंग 10080 दर्शायी गई है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मनना है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 15066416 आई0डी0एफ0 था।

मंच का मत है कि परिवादी को माह 06/2025 एवं 11/2025 में पुराने मीटर संख्या 15066416 के आधार पर प्रेषित 4377 यूनिट के विद्युत बीजकों को निरस्त कर माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व के तीन बिल चक्रों में खपत यथा 05/2025, 04/2025 एवं 03/2025 की औसत खपत 451 यूनिट (593+511+249)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को माह 06/2025 एवं 11/2025 में पुराने मीटर संख्या 15066416 के आधार पर प्रेषित 4377 यूनिट के विद्युत बीजकों को निरस्त कर माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related** Matters) Regulations, 2020* के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 05/2025, 04/2025 एवं 03/2025 **की औसत खपत 451 यूनिट** (593+511+249)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाये। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन,** 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 23.03.2025 से 01.11.2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात् 07 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा 04 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 11.12.2025 को निर्गत बिल मे केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत संशोधित बिल निरस्त किया जाता है एव विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 23.03.2025 से 01.11.2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात् 07 बिल चक्रों में प्रेषित आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा 04 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 11.12.2025 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य
16/03/26.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो॰
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 115/2025

श्री दीपक महेन्द्रा पुत्र स्व० श्री कमलेश कुमार, — परिवादी
निवासी– एच–161, नेहरू कॉलोनी
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 10.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि पिछले महीने स्मार्ट मीटर लगने के कारण हमारा विद्युत बिल गलत बना है क्योंकि हम हर महीने अपना बिल भुगतान करते है और 600 से 1000 रू० के बीच ही आता है। इस बार हमारा बिल 9598 रू० का आया है जो बिल्कुल गलत है। कृपया इसकी समीक्ष की जाए और सही किया जाए। मेरे खाते से रू० 9598 का भुगतान हो चुका है कृपया इस राशिको वापस या आगे के बिल में समायोजित किया जाए। मेरे पिता श्री कमलेश कुमार जी का स्वर्गवास हो गया है तथा इस कनैक्शन का उपभोग और भुगतान मेरे द्वारा ही किया जा रहा है।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4355, दिनांकित 09/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उक्त परिवाद संख्या 115/2025 के शिकायतकर्ता श्री दीपक महेन्द्रा के द्वारा संयोजन सख्या CD17148047625 (श्री कमलेश कुमार) का विद्युत बिल संशोधन के सन्दर्भ में वाद दर्ज कराया गया है,*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विद्युत बिल को विभागीय नियमानुसार CCBR से संशोधन कर स्वीकृती हेतु खण्ड कार्यालय को पत्रांक 4355 दिनांक 09.01.2026 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 4450, दिनांकित 02/02/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है
"कि उक्त परिवाद संख्या 115/2025 के शिकायतकर्ता श्री दीपक गहेन्द्रा के द्वारा सयोजन संख्या CD17148047625 (श्री कमलेश कुमार) का विद्युत बिल संशोधन के सन्दर्भ में वाद दर्ज कराया गया है, विद्युत बिल को विभागीय नियमानुसार CCBR से संशोधन कर दिया गया है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 23.05.2025 से 01.11.2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात् 07 बिल चक्रों में IDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 02.02.2026 को प्रस्तुत संशोधित बिल का मंच द्वारा अवलोकन किया गया। जिसे मंच द्वारा माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के नियमानुसार न पाते हुए उक्त संशोधन को निरस्त किया जाता है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter."

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 117/2025

श्री अशोक कुमार डबराल,
निवासी– 50/4, बलवीर रोड,
डालनवाला, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 18.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Meter Jumping and billing at abnormally higher side.

The Complainant submits and prays as under:-

" I Ashok Kumar Dabral (aged 67 years) S/o Late Ghanshyam Dabral, R/O 50/4, Balbir Road, Dalanwala Dehradun wish to make complaint before your good self for meter jumping with enhance reading resulting higher electricity bill in times and submit as under:

1. That I am resident of 50/4, Balbir Road, Dalanwala, Dehradun since 1998, falling under jurisdiction of the SDO, Araghar Sub Station, Dehradun.
2. That I have been allotted 5KW Connected load. My Meter No., Connection Number and Account No. is mentioned herein above.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. That my average billing comes around 2500.00 to 3200.00 per month. (Average of Sept 2024 to july 2025.
4. That problem started since August 2025 when meter reading was irregular due to non-availability of meter readers. On my specific request cum complaint at Toll Free No. 1912 for non-receipt of bill in time., I got bill for two months (July-Sept 2025 and Sept-October2025.)
5. Bill Status, receipt Vs payment with remark is given below for your ready reference and kind consideration:

S. No.	Bill Month	Bill Date	Received on	Paid on	Amount	Bill Days	Remarks
1	June-July 25	24.7.2025	25.7.2025	7.8.2025	3705	30 days	Normal Consume
2	July-Sept 25	10.9.2025	10.9.2025	12.9.2025	5044	48 days	1 1/2 time Bill
3	Sept-Oct 25	27.10.2025	28.10.2025	5.11.2025	4710	48 days	1 1/2 time Bill
4	oct-Nov 25	24.11.2025	24.11.2025	8.12.2025	8451	27 days	Meter Jump
5	Nov-Dec 25	24.12.2025	24.11.2025	Not Paid	22091	30 days	Meter Jump

From the above table, your good self will appreciate that the meter start jumping in November 2025 close to three(3) times and in December 2025 six to seven (6-7) times of normal billing.

6. That I have already made complaint on 25.12.2025 in the portal for 3p meter testing on payment of appropriate fee of Rs. 150/- under my Reference No. 22512250198/Account no. 40106028275 which is pending as on date.
7. That photocopies of last four months billing and Invoice cum Receipt No. 14486251225WS990060 dated 25.12.2025 for Rs. 150.00 for Meter testing is attached herewith for your ready reference.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

8. I have not paid the current outstanding of Rs. 22091.00 due to the above dispute. It will be paid on receipt of the revised / corrected bill.

Request

Being a Senior citizen, I humbly request your good self that:

1. Kindly look in to the matter and help me by resolving the above issue/matter so that I can discharge my duty to make payment in time.
2. The faulty meter may please be removed so that I can get correct bill on monthly basis.
3. As I have never been defaulter in making the electricity payment from beginning till date, kindly help me to come out of mental stress.

Your early action in the matter will be highly appreciated."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 4358, दिनांकित 12/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार डबराल के द्वारा संयोजन संख्या CD77134103409 का विद्युत बिल संशोधन के सन्दर्भ में वाद दर्ज कराया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा चैक मीटर हेतु दिनांक 25.12.2025 को रू० 150.00 जमा कर दिये गये थे, जिसके सन्दर्भ में सहायक अभियन्ता विद्युत परीक्षण शाला(के०) 18 ई०सी० रोड, देहरादून को इस कार्यालय के पत्रांक 4346 दिनांक 07.01.2026 के माध्यम से चैक मीटर लगाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है, चैक मीटर रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ता का विद्युत बिल को विभागीय नियमानुसार संशोधित किया जायेगा।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 4603, दिनांकित 26/03/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उक्त परिवाद संख्या 117/2025 के शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार डबराल के द्वारा संयोजन संख्या*

CD77134103409 का विद्युत बिल CCBR से संशोधन कर इस कार्यालय के पत्रांक 4510 दिनांक 10.02.2026 को खण्ड कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार डबराल के संयोजन संख्या CD77134103409 का विद्युत बिल CCBR से संशोधन कर कार्यालय के पत्रांक 4510 दिनांक 10.02.2026 को खण्ड कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त चर्चा **उपरान्त मंच द्वारा परिवादी** के Conumer Ledger **का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान** आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

18/03/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 120/2025

श्रीमती खुशबू सक्सेना,
निवासी– पांडेवाला राजावाला,
राजा रोड, नियर दून चिल्ड्रेन,
वर्ल्ड स्कूल, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 18.03.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding posting of inflated reading in the month of November 2025.

The Complainant submits and prays as under:-

"I am formally lodging a complaint regarding a major error in the meter readings for my electricity connection (Account No: 41801236047). The bill generated for November 2025 and subsequently December 2025 is incorrect due to an error by the meter reader. In October, my reading was 12,617 units. However, for November, the reading was wrongly recorded as

13,770, showing an impossible jump of 1,153 units in a single month. My actual meter reading at the current date is still below 13,000 units. Because of this error, I have been charged a hefty and incorrect amount of ₹10,110. It is impossible for us to pay this incorrect bill.

I request you to:

1. Rectify the meter reading immediately based on a physical site inspection.

2. Issue a corrected bill for November and December 2025 so that we can pay the actual amount.

3. Ensure no late surcharges or disconnection actions are taken while this correction is pending."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1835, दिनांकित 09/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता परिसर पर स्थापित मापक की वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक पूर्व में ही संशोधित कर दिया गया था एवं उपभोक्ता द्वारा निर्गत बीजक का भुगतान भी किया जा चुका है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता परिसर पर स्थापित मापक की वास्तविक रीडिं के आधार पर विद्युत बीजक पूर्व में ही संशोधित कर दिया गया था एवं उपभोक्ता द्वारा निर्गत बीजक का भुगतान भी किया जा चुका है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्षे0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया एवं परिवादी द्वारा भी संशोधित विद्युत बिल का भुगतान किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि परिवादी संशोधित विद्युत बिल से सहमत है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

18/03/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18/03/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह दिसंबर 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन उपलब्ध बिल चक्रों यथा 08/2025, 06/2025 एवं 02/2025 की औसत खपत 607 यूनिट (409+211+1201)/3 के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उपखण्ड अधिकारी की आख्या पत्रांक संख्या 09 दिनांक 09.01.2025 से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा परिवादी को कम रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे थें, जिस कारण परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व उपलब्ध तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर संशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानी हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष ऐसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि provisional billing एवं accumulated reading आदि शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

9-2-2026

(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

09/02

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

SUSHMA BATRA) को प्रति माह वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक निर्गत न किये जाने के कारण उपभोक्ता को एक बार में ही वास्तविक रीडिंग का विद्युत बीजक निर्गत किया गया।"

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस के क्रम में विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीर्टड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक से मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है। विपक्षी द्वारा परिवादी को माह दिसंबर 2025 मे 4372 यूनिट का बिल निर्गत किया गया जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योकिं परिवादी के अनुसार यह बिल पूर्व बिलों की तुलना में अत्याधिक राशि का है।

मंच का मत है कि मीटर रीडर द्वारा विवादित बिल चक्र से पूर्व लम्बी अवधि से वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग अंकित की जा रही थी एवं एकाएक बिल चक्र 12/2025 में 3 किलोवाट संयोजन पर 4372 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गई है, जो कि माननीय् ***UERC*** के उपरोक्त विनियमों का उल्लघन है, जिसे मंच स्वीकार नहीं करता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह दिसंबर 2025 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन उपलब्ध बिल चक्रों यथा 08/2025, 06/2025 एवं 02/2025 की औसत खपत 607 यूनिट (409+211+1201)/3 के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपभोक्ता को दिनांक 04.09.2019 को विद्युत संयोजन निर्गत किया गया था। विद्युत संयोजन निर्गत करने की तिथि से वर्तमान समय तक उपभोक्ता की कुल खपत 43836.4 kwh है, जिस आधार पर उपभोक्ता द्वारा प्रति माह लगभग 576 यूनिट (43836.4 Units/76 Months=576 Units) की खपत की गयी। जबकि विगत 11माह (01.02.2025 से 09.01. 2026) में उपभोक्ता द्वारा प्रति माह लगभग 515 यूनिट (5669.3 Units/11 Months=515 Units) की खपत की गयी। अतः उपभोक्ता का विद्युत बीजक सही एवं तार्कि है। उपरोक्त विषयक माननीय मंच के संज्ञान में लाना है कि उपखण्ड अनारवाला के अन्तर्गत दिनांक 01.09.2025 से पूर्व M/s TDS Pvt. Ltd द्वारा उपभोक्ताओं की रीडिंग लेने का कार्य किया जाता था। M/s TDS Pvt. Ltd द्वारा उपभोक्ता (Mrs. SUSHMA BATRA) को प्रति माह वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक निर्गत न किये जाने के कारण उपभोक्ता को एक बार में ही वास्तविक रीडिंग का विद्युत बीजक निर्गत किया गया।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 01.07.2025 की रीडिंग 40804.3 Kwh, 01.09.2025 को रीडिंग 41679.9 Kwh, दिनांक 01.10.2025 को रीडिंग 42082.6 Kwh, दिनांक 01.11.2025 को रीडिंग 42478.7 Kwh, एवं दिनांक 01.12.2025 को रीडिंग 42963.4 Kwh एम0आर0आई0 रिपोर्ट में अंकित है तथा कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री में क्रमशः दिनांक 15.06.2025 को रीडिंग 38901 Kwh, दिनांक 26.08.2025 को रीडिंग 39310 Kwh, दिनांक 01.11.2025 को रीडिंग 39310 Kwh, एवं दिनांक 16.12.2025 को रीडिंग 43062 Kwh अंकित की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रति माह वास्तविक रीडिग से कम रीडिंग के विद्युत बीजक निर्गत नहीं किये जा रहे थे। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या में स्वयः भी स्वीकार किया गया है कि *"M/s TDS Pvt. Ltd द्वारा उपभोक्ता (Mrs.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

5. *Ensure that no late payment surcharge, penalty, or disconnection action is initiated while this matter is under dispute."*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 09 दिनांकित 09/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *" संयोजन संख्या 7021118668791 (Mrs. Sushma Batra) के मापक संख्या 258442 (Contracted Load 3.00) की एम0आर0आई0 दिनांक 09.01.2026 को की गयी जिसमें मापक पर पाठ्यांक 43836.4 KWH पाया गया। एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता का प्रति माह की वास्तविक रीडिंग का पाठ्यांक एवं औसतन खपत निम्नवत् है।*

क्र0 सं0	माह	मापक की वास्तविक रीडिंग	प्रति माह खपत	मापक की Maximum Demand
1	Febuary 2025 (01-02-2025)	38167.1	-	6.96 KW
2	March 2025 (01-03-2025)	38779.4	612.30 Units Per Month	5.60 KW
3	April 2025 (01-04-2025)	39256.2	476.80 Units Per Month	5.94 KW
4	May 2025 (01-05-2025)	39721.2	465.00 Units Per Month	4.76 KW
5	June 2025 (01-06-2025)	40319.1	597.00 Units Per Month	3.96 KW
6	July 2025 (01-07-2025)	40804.3	485.20 Units Per Month	4.00 KW
7	August 2025 (01-08-2025)	41338.2	533.90 Units Per Month	4.66 KW
8	September 2025 (01-09-2025)	41679.9	341.70 Units Per Month	4.06 KW
9	October2025 (01-10-2025)	42082.6	402.70 Units Per Month	4.10 KW
10	November2025 (01-11-2025)	42478.7	396.10 Units Per Month	4.84 KW
11	December2025 (01-12-2025)	42963.4	484.70 Units Per Month	5.26 KW
12	January 2026 (01-01-2026)	43651.4	688.00 Units Per Month	5.48 KW
13	09-01-2026	43836.4	185.00 Units Per Month	4.94 KW

It must be clearly understood that:

- *I am liable only for consumption after October*
- *I am not liable for any cumulative units arising from UPCL's failure to take readings.*
- *I would have paid whatever correct bill was generated in the last cycle, just as I always have. If UPCL issued a lower bill in the previous cycle due to non-reading, that is entirely UPCL's responsibility.*
- *UPCL cannot retrospectively alter readings or recover its lapse through later bills.*

The revised bill still reflects cumulative impact from earlier billing cycles, pushing my consumption into higher tariff slabs, which is entirely artificial and caused solely by UPCL's administrative lapse. This effectively amounts to passing UPCL's mistake onto the consumer, which is unfair, unjust, and against basic consumer protection principles.

I therefore strongly and unequivocally demand thatUPCL:

1. *Recalculate the bill strictly from the October reading onwards.*
2. *Exclude all units accumulated due to missed or delayed readings.*
3. *Apply tariff slabs only to the correct billing period.*
4. *Issue a final, accurate, and legally fair revised bill.*

UPCL website, which together conclusively establish billing manipulation and continued shifting of UPCL's fault onto the consumer:

1. *Latest Bill/Consumption file (downloaded today) this document shows that UPCL has manipulated the "previous reading" for the current bill. This is not a valid meter reading; it is a post-fact adjustment.*
2. *Original Previous bill (downloaded earlier from UPCL website): this is the original bill history file which was generated by UPCL. This bill is no longer visible online, but I had prudently downloaded it earlier from UPCL's official portal. This proves that the August-October cycle was already closed and settled.*

Taken together, these two documents clearly show that:

- *UPCL did not take the October reading*
- *UPCL later reused the August reading in December*
- *UPCL then attempted to "adjust" units post billing instead of correcting the billing cycle.*
- *UPCL is now recovering its own lapse by inflating a subsequent bill*
- *The consumer is being penalized for UPCL's internal failure*

reading, despite the fact that the meter at my premises was always accessible. There was no fault, obstruction, or negligence from my side at any point, because UPCL did not take the October reading, the billing process failed at the utility's end. Any consequences of this failure cannot legally or fairly be transferred to the consumer. I would like to clearly place the following facts on record:-

1. *I paid every bill that was generated up to October, in full and on time*
2. *I had no control over wheather UPCL took the meter reading or not*
3. *If UPCL issued a lower bill in the previous cycle due to non-reading, that is entirely UPCL's responsibility.*
4. *Accumulating units due to missed readings and then applying higher slabs is unacceptable*

Initially, UPCL raised an incorrect bill of ₹25,137 by taking the previous meter reading from August. After visiting the electricity office, this was partially revised to ₹21,745, which itself is an admission that the original bill was wrong. However, even this revised bill continues to load UPCL's past billing failure onto the consumer. Critical Documentary evidence (attached)-I am attaching two documents downloaded directly from the official

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 121 / 2025

श्रीमती सुषमा बत्रा — परिवादी
निवासी– जाखन कैनाल रोड, वैली एन्क्लेव
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 09.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य

निर्णय

The complainant registered the **complaint regarding incorrect meter** reading and cumulative billing.

The Complainant submits and prays as under:-

" This complaint is a continuation and final escalation of my earlier grievance regarding incorrect meter reading and cumulative billing in my December electricity bill. As per *correct billing practice, the correct bill should have been calculated from the last valid reading taken in October onwards. However, UPCL failed to take the October meter*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 122/2025

श्री दिनेश सिंह रावत — परिवादी
निवासी– मकान नं0–175, वाणी विहार
अधोरवाला,देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 10.03.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" मेरा बिजली का बिल विगत मई, जून से सही नही आ रहा है, पहले यह बिल जून में रू0 72259.00 का था जो कि मई में बिजली का मीटर चेंज हुआ था, उसमें कर्मचारी के द्वारा गलत प्रविष्टि की गई है, तब मेरे द्वारा बिजली का बिल जमा नहीं किया गया उसके पश्चात् से अब तक मेरा बिजली का बिल सही नहीं आ रहा है। कृपया आप इस ओर ध्यान दे तथा मेरे बिजली के बिल को सही किया जाये। आप की अति कृपा होगी, ताकि मैं तनाव मुक्त रह सकूँ।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 883 दिनांकित 12/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"श्री दिनेश सिंह रावत निवासी नं0 175 वाणी विहार, अधोईवाला, देहरादून का विद्युत संयोजन संख्या 7021324097492 घरेलू विधा में एक किलोवाट विद्युत भार का संयोजित है। उपभोक्ता के पुराने विद्युत बिल माह 08/2021 से माह 02/2025 तक RDF के आधार पर निर्गत हुए। दिनांक 03.05.2025 को पुराने मीटर संख्या 96251530 (अन्तिम रीडिंग 11208 पर) बदलकर नया स्मार्ट मीटर संख्या 5587079 स्थापित हुआ। जिस कारण माह 06/2025 का विद्युत बिल 10177 यूनिट पर रू0 72259.00 का बना। जिसे संशोधित कर दिया गया है। माह 08/2025, 09/2025, 10/2025, 11/2025 व 12/2025 में खपत कमाशः 435, 224, 248, 259 व 142 यूनिट पर विद्युत बिल निर्गत हुए है। विद्युत बिल संशोधित किये जाने के पश्चात् वर्तमान (माह 12/2025) तक कुल अवशेष धनराशि रू0 21587.00 है। जिसे उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 12.08.2021 से 03.05.2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात् 23 बिल चक्रों में RDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter." उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 12.08.2021 से 03.05.2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात् 23 बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा 20 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करे एवं दिनांक 11.06.2025 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 12.08.2021 से 03.05.2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) अर्थात् 23 बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा 20 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करे एवं दिनांक 11.06.2025 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही पर विद्युत बिल संशोधित करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/03/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 125/2025

श्री शकील खान — परिवादी
निवासी– मित्रलोक कालोनी बल्लूपुर,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 31.03.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Installed smart meter recording higher units than the actual consumed units.

The Complainant submits and prays as under:-

" As I informed you earlier that my smart meter is not working properly as it records 4 units when check meter record 1 unit it means smart meter jumping 4 times then actual

consumed units and smart meter installed in May 2025 since may month we pay wrong bills and continuosly complaining to your department but it seems you are not taking it seriously. Fews day before your electricity officer who visit our site confirmed that smart meter running fast and showing wrong reading after comparing with check meter reading and he said he will change the meter and try to refund my wrong bills amount which we paid. Now today another men come and said we will remove check meter tomorrow. Not informing anything about the faulty meter and about refund what is this? Kindly change my faulty meter in urgent basis and refund my money as soon as possible. We have all written documents which electricity men hand over to us when he installed check meter which proof that smart meter is faulty and giving wrong reading."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1277 दिनांकित 22/01/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"इस कार्यालय के पत्र सं0 1268/वि.वि.उ.ख.व.वि./उ.शि.नि.मं. दिनांक 19.01.2026 से सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून को उपभोक्ता श्री शकील खान, मित्रलोक कालोनी, बल्लूपुर, देहरादून (संयोजन संख्या SD26114126444) पर स्थापित चैक मीटर फाईनल कर अवगत कराने हेतु कहा गया था। जिसके संदर्भ में सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून कार्यालय ने उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर स्थापित करने एवं उसे फाइनल करने की सीलिंग उपलब्ध*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कराई है। चैक मीटर सीलिंग के अनुसार चैक मीटर दिनांक 30.12.2025 को लगा एवं दि0 21.01.2026 में फाइनल हुआ एवं दोंनो मीटरों में 200 यूनिट खपत दर्ज हुई है, इस प्रकार उपभोक्ता का मीटर तेज चलना नहीं पाया गया है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1428 दिनांकित 16/03/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *" संयोजन संख्या SD26114126444 के विद्युत संयोजन पर लगे स्मार्ट मीटर पर चैक मीटर के रूप में स्मार्ट मीटर लगाया जाये, के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं0 1336/वि.वि.उ.ख.व.वि. /उ.शि.नि.मं. दिनांक 12.02.2026 से सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून को उपभोक्ता श्री शकील खान, मित्रलोक कालोनी, बल्लूपुर, देहरादून के विद्युत संयोजन संख्या SD26114126444 पर चैक मीटर के रूप में स्मार्ट मीटर स्थापित कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु कहा गया था। जिसके संदर्भ में सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून कार्यालय ने उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर स्थापित करने एवं उसे फाइनल करने की सीलिंग उपलब्ध कराई है। चैक मीटर सीलिंग के अनुसार चैक मीटर दिनांक 26.02.2026 को लगाया गया एवं दिनांक 09.03.2026 में फाइनल हुआ। उक्त अवधि में उपभोक्ता के यहाँ स्थापित मीटर सं0 5558016 में 123 यूनिट खपत दर्ज हुई एवं चैक मीटर संख्या 5627285 में 122 यूनिट खपत दर्ज हुई है, इस प्रकार उपभोक्ता का मीटर तेज चलना नहीं पाया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच के संज्ञान में आया कि परिवादी के परिसर पर विपक्षी के द्वारा 20.11.2025 को स्मार्ट मीटर के सापेक्ष चैक मीटर (non

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

smart meter) लगाया गया। 20.11.2025 को निर्गत सीलिंग प्रमाण पत्र को परिवादी द्वारा निरस्त किया गया एंव 30.12.2025 को पुनः सीलिंग प्रमाण पत्र पुराने मीटर की प्रारंभिक रीडिंग 3155 के स्थान पर 4173 दर्शाते हुए निर्गत किया गया। एम0आर0आई0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 20.11.2025 को निर्गत सीलिग प्रमाण पत्र मे पुराने मीटर की प्रारंभिक रीडिंग गलत भरी गई थी, जिसको विपक्षी द्वारा 30.12.2025 को निर्गत सीलिंग प्रमाण पत्र में ठीक कर दिया गया। चैक मीटर दिनांक 21.12.2026 को फाईनल किया गया जिस से स्पष्ट है कि पुराना मीटर ठीक कार्य कर रहा है। परिवादी द्वारा सुनवाइ के दौरान मंच से आग्रह किया कि स्थापित स्मार्ट मीटर संख्या 5558016 की शुद्धता स्मार्ट चौक मीटर से ही कराई जाएँ जिसके क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को सुनवाई तिथि दिनांक 09.02.2026 को निर्देर्शित किया गया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर संख्या 5558016 के सापेक्ष स्मार्ट चैक मीटर स्थापित कर उक्त विद्युत मापक की शुद्धता जॉच कर मंच में चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 23.03.2026 को आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि चैक मीटर सीलिंग के अनुसार चैक मीटर दिनांक 26.02.2026 को लगाया गया एवं दिनांक 09.03.2026 में फाइनल हुआ। उक्त अवधि में उपभोक्ता के यहॉ स्थापित मीटर सं0 5558016 में 123 यूनिट खपत दर्ज हुई एवं चैक मीटर संख्या 5627285 में 122 यूनिट खपत दर्ज हुई है, इस प्रकार उपभोक्ता का मीटर तेज चलना नहीं पाया गया है, विपक्षी द्वारा परिवादी के यहॉ स्थापित स्मार्ट मीटर की जॉच दो बार एक बार गैर स्मार्ट चैक मीटर एंव एक बार स्मार्ट चैक मीटर द्वारा कराई गई जिस में उक्त स्थापित स्मार्ट मीटर चैक मीटर के सापेक्ष ही विद्युत खपत दर्ज कर रहा था, जिससे स्पष्ट है कि उल्लेखित

अवधि में परिवादी के विद्युत मापक द्वारा विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से किया जा है, तथा विपक्षी द्वारा निर्गत बिलो में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

31/03/2026
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

31/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 126 / 2025

श्री दाता राम त्रिपाठी,
निवासी– 159 / 1 गोरखपुर,
आर्केडिया ग्रांट,पो0ओ0 प्रेमनगर
नियर गरूड चौक, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 17.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding delay in replacement of burnt meter.

The Complainant submits and prays as under:-

*"I am writing to bring to your attention the undue delay in resolving my complaint bearing reference number 22212250624, which was lodged **two weeks ago (22 December 2025)** for replacement of a **burnt-out electricity meter.***

Despite raising the complaint well in time, no action has been taken so far, and the issue remains unresolved.

I request you to kindly look into the matter on priority and arrange for replacement of the burnt meter at the earliest. Please also provide an update on the status of my complaint."

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1835, दिनांकित 09/01/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि वाद संख्या 126/2026 के सापेक्ष संयोजन संख्या MP12113119011 नामें श्री दाता राम त्रिपाठी, निवासी– 159/1, गोरखपुर, आरकेडिया ग्रांट, पो0ओ0 प्रेमनगर, नियर गरूड चौक, देहरादून का Burnt विद्युत मीटर के सापेक्ष दिनांक 17/01/2026 को नया मीटर स्थापित कर शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत सयोजन संख्या MP12113119011 का Burnt विद्युत मीटर के सापेक्ष दिनांक 17.01.2026 को नया मीटर स्थापित कर शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के संयोजन संख्या MP12113119011 की जला मीटर परिवर्तित किये जाने संबंधी शिकायत का निवारण नया विद्युत मीटर स्थापित कर कर दिया गया है । उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।***

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

17/03/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17/03/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 131/2025

श्रीमती डिम्पल आहुजा पत्नी श्री गौरव आहुजा — **परिवादी**
निवासी– मं0 नं0 08, माया एन्कलेव आई.टी.बी.पी.,
रोड, निरंजनपुर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — **दिनांक: 10.03.2026**

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद आई.डी.एफ के विद्युत बिल निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। **परिवादी का कथन है कि** *"प्रार्थी का विद्युत संयोजन सं0 SD7/5322/577421 है। जिस पर विभाग द्वारा लगातार ही IDF श्रेणी का विद्युत बीजक निर्गत किये जा रहें है। जिससे प्रार्थी को वित्तीय नुकसान हो रहा है। अतः निवेदन है कि मा0 नियामक आयोग की नियमावली के आधार पर प्रार्थी का विद्युत बिल संशोधित कर एवं खराब मीटर को बदलनवाने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2445 दिनांकित 09/02/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"श्रीमती डिम्पल आहुजा पत्नी श्री गौरव आहुजा हिमांशु त्यागी संयोजन संख्या*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

SD7/5322/577421 का IDF मीटर मापक स्कंध द्वारा दिनांक 02.02.2026 को बदल दिया गया है। आई0डी0एफ0 बीजक राशि रू0 40024.00 घटाने हेतु कार्यवाही कर ली गयी है।"

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या SD7/5322/577421 श्रीमती डिम्पल आहुजा पत्नी श्री गौरव आहुजा हिमांशु त्यागी संयोजन संख्या SD7/5322/577421 का IDF मीटर मापक स्कंध द्वारा दिनांक 02.02.2026 को बदल दिया गया है। आई0डी0एफ0 बीजक राशि रू0 40024.00 घटाने हेतु कार्यवाही कर ली गयी है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी विद्युत बिल संशोधन संबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 132 / 2025

श्रीमती चैरी जैन | परिवादी
निवासी– 16 सी, ओल्ड सर्वे रोड,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता | विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम | दिनांक: 11.03.2025

श्री रजनीश माथुर | तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली | न्यायिक सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding rectifying the inflated amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

"I am senior citizen Mrs. Cherry jain, living alone on 16 C old Survey road, who pays all bills regularly. Usually my bill comes between 1800 Rs- 2500 Rs but this time it is 9000 which is unreasonable. I am stressed about it. The bill stated is from 27th Nov. 25 to 23rd

Dec. 2025 of precisely 26 days. The bill has been paid by my son who did not closely examine it as he is out of station and busy. My connection number is 7071421025375 meter number is 9578278. The above has already been sent to the Executive Engineer on E.C. road on 6th Jan 26. I will be greatful if you kindly look into this urgently. Please adjust the amount in my future bills."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 899 दिनांकित 31/01/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया है जो कि निम्ननुसार है:–

1. *"उपभोक्ता श्रीमती चैरी जैन, 16 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून के परिसर पर विद्युत संयोजन संख्या 7071421025375 एवं मीटर सं0 9578278 लगा है।*
2. *उपभोक्ता की हिस्ट्री का अवलोकन करने पर उपभोक्ता का विद्युत बीजक पूर्णतः सही पाया गया। माह 12/2025 में उपभोक्ता की खपत बढ़ने के कारण उपभोक्ता की विद्युत बिल ज्यादा आया है।"*

मंच द्वारा विपक्षी को सुनवाई तिथि दिनांक 26.02.2026 के दौरान परिवादी को संशोधित विद्युत बिल प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा परिवादी का संशोधित विद्युत बिल अगली सुनवाई दिनांक 09.03.2026 को प्रस्तुत किया गया।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को ई–मेल के माध्यम से मंच से निवेदन किया है कि वह संशोधित विद्युत बिल से पूर्ण रूप से सहमत है। अतः उनकी शिकायत को समाप्त कर दिया जाये।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि परिवादी संशोधित बिल से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

11/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGarar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 134 / 2025

श्री बी.पी. नौटियाल
निवासी– 10 / 1 कर्जन रोड,
डालनवाला देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 20.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding electricity theft reported further disconnecting the electricity supply and seizing the meter installed.

The Complainant submits and prays as under:-

1. *"The complainant is owner of property situated at 5 Cement Road, Dehradun where electricity is supplied under connection no. 7011321027832, A/c No. 40102204907. Earlier in the month of Febuary, 2024 an alleged inspection was conducted by an*

inseption team at the premises situated at 1st floor of the above mentioned address on 16-02-2024 and case of electricity theft was reported further disconnecting the electricity supply and seizing the meter installed. The objector filed his objections dated 28-02-2024 against provisional assessment bearing No. 639 EDD (N) dated 21-02-2024 stating therein that the complainant is owner of the said premises but one shri Jasveer Tomar, S/o Hukum Singh R/o Kamla Godaug, Dehradun 248158 as a tenant was in use & occupation of the said premises running a library under the name & style Jigyasa Library and filed documentary evidence in support of the same. The complainant further stated in his objection that connected load of 3.723 Kw has been wrongly calculated in the inspection report and the correct connected load is 2.723 Kw. Complainant also pointed out in the objection that as per the prescribed procedure no meter reading/recording for the billing cycles was carried out for months together and no electricity bills were issued to the consumer by the duly authorized meter readers of UPCL.

2. *After considering the documents & submissions of the complainant , the objections filed by the complainant was decided vide O.M. bearing No.1635/EDD(N) dated*

07-05-2024 & amended order bearing No. 1689 EDD (N) dated 13-05-2024.The complainant being owner of the premises vide letter dated 14-05-2024 made a payment Rs. 2,61,550/- through demand draft stating therein that as the tenant shri Jasveer had left the premises without informing the complainant, the payment is being made by him without prejudice to his right to recover the same from shri Jasveer with a request to restore the electricity connection. Copies of the O.M. date 07-05-2024, amended order bearing no. 1689 EDD(N) dated 13-05-2024 & letter dated 14-05-2024 are attached herewith as annexure no. 01.

3. *Later on the complainant found electricity supply restored and electricity meter installed outside the complainant's premises on an electricity pole across the street but the entire process of restoring supply line of electricity and installation of electricity meter was carried out in the absence of the complainant or his authorized representative and neither a copy certificate nor any receipt was issued to the complainant or his authorized representative at the time of installation of a meter.*
4. *Electricity bills for the above mentioned electricity connection number were being generated on the basis of NR (Not read) for different bills generated on 31-05-2024*

(121 days), 30-11-2024 (184 days), 31-01-2025 (61 days) and thereafter on the basis of RDF (Reading Defective) on 19-03-2025 (53 days), 13-05-2025 (55 days).

5. *Inadvertently on 18-05-2025 the complainant got the payment made for the bill dated 13-05-2025 amounting to Rs. 5810/- even as the bills issued were based on NR & RDF and even complainant's premises was lying vacant ever since March,2024 after earlier disconnection of electricity supply back in the month of February, 2024 but even thereafter again the meter was read/recorded and bills were generated/issued on the basis of RDF (Reading Defective) on 26-07-2025 (74 days) & 21-09-2025 (57 days). Copies of the bills from 31-05-2024 o 21-09-2025 are attached herewith as Annexure no. 02.*

6. *Complainant submitted an application dated 27-09-2025 to the S.D.O. EDD. Sahastradhara Road, Dehradun stating therein all the facts with a request to reimburse any excess amount paid by the complainant for the bill issued on the basis of RDF after adjustments based on actual meter reading. After continuous follow-up by the representative of complainant, it was being informed by the SDO, EDD, Sahastradhara Road that actual meter reading is 5 kWh/kVAh and the excess amount*

paid by the complainant for the electricity bill raised on the basis of RDF shall be adjusted in future bill as there is no provision of reimbursement of excess amount paid. Copy of the application dated 27-09-2025 is attached herewith as Annexure No. 03.

It is noteworthy to mention that from 31-05-2024 till 21-09-2025 in spite of the fact that meter was installed outside the complainant's premises on an electricity pole, meter was not read/recorded by duly authorized meter readers of U.P.C.L. and the bills were being generated solely on the basis of NR & RDF which clearly demonstrates negligence & failure on the part of UPCL. Persons duly authorized by the UPCL were not regularly reading the meter and not even adhering to the proper billing cycle as per the UERC Regulations.

7. *Thereafter instead of rectifying the mistake and adjusting the excess amount paid by the complainant, an electricity bill was generated/issued again on the basis of RDF (Reading Defective) on 21-11-2025(2 Months) for Rs. 9,581/- for assessed unit 364 and later on the very same date another revised bill was generated on the basis of MU on 21-11-2025 (911 Days) for Rs. 1,51,007/- wherein current reading was reflected*

as 5 kWh/kVAh but the assessed unit was 17539. Copies of both the bills are attached herewith as Annexure No. 04.

8. *The representative of the complainant enquired regarding both the bills dated 21-11-2025 from the S.D.O., EDD, Sahastradhara Road but no satisfactory reply or explanation was given but only after repeated efforts & consisting persuasion it was informed that 17539 assessed units are based on the reading from the old meter which was changed. The complainant procured copy of Meter Change Sealing Certificate from the official UPCL App wherein as per the said certificate meter change date was 16-05-2025 and status of the meter at the time of change is reflected as IDF(Defective Meter). The fact that meter which was changed was found to be defective at the time of checking clearly proves that any reading reflecting on a defective meter was faulty & unreliable. Copy of the Meter Change Sealing Certificate is being attached herewith as Annexure No. 05.*

9. *It is further submitted that from 28-11-2022 to 25-01-2024 total of 4 electricity bills were generated out of which only one bill dated 25-03-2023 (56 Days) was on the basis of MU (Metered Units) and other 3 dated 30-01-2023 (61 Days), 31-05-*

were 12 for a period of 56 days and present reading was 6902 but final reading from a IDF (Defective Meter) which was seized at the time of inspection conducted on 16-02-2024 was 24867 meaning thereby that within a period of next 297 Days total electricity consumed at the premises of the complainant was 24867-6902=17965 Units which in itself is doubtful & outrageous and without any application of mind or logical conclusion a revised bill is issued to the complainant which proves beyond doubt that the final reading was faulty and completely inaccurate and a revised bill dated 21-11-2025 based on such faulty reading is unsustainable & against the regulatory procedures and therefore liable to be rejected.

13. *The complainant filed an application dated 10-12-2025 in the office of S.D.O. EDD, Sahastradhara Road, Dehradun for enhancement of contracted load from1.00 kW to 5.00 kW stating therein that no amount is due towards the complainant and has made an excess payment against the actual metered units enclosing duly signed application form.*
14. *The complainant filed a complaint before the Executive Engineer, E.D.D. (North), UPCL stating all the facts along with material documents on 12-12-2025 which is*

pending disposal and again the complainant is in receipt of electricity bill dated 14-01-2026 wherein the current bill amount on the basis of MU from21-11-2025 to 14-01-2026 is Rs. 682.43/- but the total bill amount along with late payment surcharge is for Rs. 1,53,241.78/-. Copy of the electricity bill dated 14-01-2026 is attached herewith as Annexure No. 07.

For the facts stated above along with supporting evidence and keeping in view the UERC Regulations the complainant is not legally bound to make payment of an illegal & inflated demand of Rs. 1,51,007/- raised vide revised bill dated 21-11-2025 and therefore the same is liable to be rejected and amount of Rs. 5,810/- paid on 18-05-2025 against the bill dated 13-05-2025 issued on the basis of RDF be adjusted as per the application dated27-09-2025 filed by the applicant (Annexure No. 03). Till the time of final *resolution of the present complaint, the authority concerned be directed not to disconnect the electricity connection at the premises of the complainant and the S.D.O. EDD, Sahastradhara Road be directed to enhance the existing contracted load from 1.00 kW to 5.00 kW for the electricity connection as per the application dated 10-12-2025 filed by the complainant before the S.D.O. EDD, Sahastradhara Road."*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 908 दिनांकित 09/02/2026 से मंच को बिन्दुवार आख्या से अवगत कराया है जो कि निम्ननुसार है:–

1 *"उपभोक्ता श्री वी0पी0 नौटियाल, निवासी 10/1 कर्जन रोड़ डालनवाला देहरादून के परिसर पर संयोजन संख्या 7011321027832 लगा है जिस पर वर्तमान में मीटर* संख्या GU362750 लगा है। तथा उक्त संयोजन पर दिनांक 16.05.2024 से पूर्व मीटर संख्या 40121894 लगा था।

2. *M/S TDS द्वारा उक्त संयोजन का माह 03/2023 का विद्युत बिल MU (मीटर Unit) के आधार पर जारी किया गया था तथा इसके पश्चात् NR एवं RDF के बिल निर्गत किये गये।*

3. *संयोजन संख्या 7011321027832 पर लगे मीटर संख्या 40121894 की माह 03/2023 की अंतिम रीडिंग 6402 थी।*

4. *चैकिंग टीम द्वारा दिनांक 16.02.2024 को उक्त संयोजन की जॉच की गई जिसमें उपभोक्ता के परिसर पर लगे मीटर (40121894) में अंतिम रीडिंग 24867 पाई गई साथ ही इनकमिंग केबिल पर कटिया डालकर विद्युत चोरी पाई गई।*

5 *उक्त रिपोर्ट के आधार पर खण्ड कार्यालय द्वारा चोरी के विरूद्ध Assessment किया गया।*

6. *मा0 UERC रेगुलेशन 2020 की धारा 4.1.1(3) के अनुसार*

" The consumer seeking enhancement /reduction in load at same voltage level shall apply to the distribution licensee in the form given at Annexuer-VII which shall be made available free of cost at licensee sub-division or any other office along with the

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत-निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

proof of payment of the latest bill. The form can also be downloaded from the licensees website or even photocopied.

उक्त के अनुसार उपभोक्ता द्वारा अंतिम विद्युत बिल के भुगतान के बाद ही विद्युत भार घटाया या बढाया जा सकता है।"

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 922 दिनांकित 18/02/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *दिनांक 09.02.2026 को सुनवाई के दौरान उपभोक्ता के परिसर पर लगे पुराने मीटर की MRI रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चैकिंग के दौरान मीटर सील कर थाना में जमा कर दिया गया था। जिसके कारण उक्त संयोजन पर लगे पुराने मीटर की MRI नहीं हो पा रही है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 07/2022 से 11/2025 अर्थात् 15 उपलब्ध कराये बिलों में से 14 बिलों में NR/ RDF के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहॉं पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter." उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है।

अतः इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 30.07.2022 से 21.11.2025 अर्थात् 15 उपलब्ध कराये बिलों नें से 14 बिलों में प्रेषित एन0आर0 एवं आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 12 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 30.07.2022 से 21.11.2025 अर्थात् 15 उपलब्ध कराये बिलों में से 14 बिलों में प्रेषित एन0आर0 एवं आर0डी0एफ0 बिलों में से UERC विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 12 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाने के आधार पर ही बिल संशोधित करे तथा

नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत यथावत रहेगी। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-3-2026	20/03/26	
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 135 / 2025

श्रीमती विमला देवी,
निवासी–वार्ड नं०–03,
वसन्त विहार, हर्बटपुर,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 25.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं विमला देवी, UPCL की विद्युत उपभोक्ता हूँ। विभाग द्वारा मेरे साथ की गई बिलिंग प्रक्रिया में गंभीर त्रुटीयों के कारण मुझे अत्याधिक आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड रहा है, जिस कारण माननीय CGRF की शरण में आई हूँ।*

मामले के तथ्य निम्नलिखित है:

1. *मेरे परिसर में दिनांक 11 मार्च 2025 को UPCL द्वारा मीटर परिवर्तन किया गया था।*
2. *मीटर परिवर्तन के पश्चात विभाग द्वारा मीटर विवरण एवं रीडिंग सिस्टम में समय पर अद्यतन नहीं किया गया, जिसके कारण नियमित मीटर रीडिंग नहीं हो सकी।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. इस अवधि में मेरे विद्युत बिल NR/MU आधार पर स्वतः जनरेट होते रहे, फिर भी मैंने सम्भावना में समय–समय पर ऑनलाइन माध्यम (Google Pay) भुगतान किया।
4. वर्तमान में विभाग द्वारा 18 फरवरी 2025 से 09 जनवरी 2026 (लगभग 325 दिन) का एक साथ समेकित बिल जारी कर दिया गया है।
5. उक्त बिल में Late Payment Surcharge (LPS) भी जोड़ा गया है, जबकि यह स्पष्ट है कि बिलिंग में हुआ विलंब पूरी तरह विभागीय त्रुटी के कारण है।
6. इस संपूर्ण अवधि में उपभोक्ता की ओर से कोई लापरवाही, जानबूझकर विलब अथवा त्रुटि नहीं किं गई।
7. मैंने इस संबंध में SDO सेलाकुई उपखंड को लिखित आवेदन दिया, परंतु मुझे कोई लिखित आदेश/निर्णय नहीं दिया गया।
8. SDO द्वारा केवल मौखिक रूप से दो किस्तों में भुगतान का प्रस्ताव दिया गया, जिससे मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूँ क्योंकि यह विभागीय गलती का उचित समाधान नहीं है।

शिकायत के आधारः

1. विभागीय चूक के कारण 325 दिनों का एकमुश्त बिल जारी करना उपभोक्ता के हितों के विरूद्ध है।
2. उपभोक्ता की गलती न होने पर भी LPS लगाया जाना अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं नियमों के विपरीत है।
3. केवल मौखिक किस्त प्रस्ताव देना पारदर्शित एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांतो के विपरीत है।

अतः माननीय मंच से विनम्र प्रार्थना है किः

1. 325 दिनों का एकमुश्त जारी किया गया विद्युत बिल निरस्त/पुनर्गणना कराने का आदेश दिया जाए।
2. लगाए गए Late Payment Surcharge (LPS) को पूर्णतः हटाया जाए।
3. बिल का निर्धारण वास्तविक मीटर रीडिंग अथवा नियमानुसार औसत खपत के आधार पर किया जाए।
4. यदि संशोधन के पश्चात् कोई देय राशि बनती है, तो उसे उपभोक्ता की भुगतान क्षमता के अनुसार किस्तों म लेने का निर्देश दिया जाए।
5. इस प्रकरण के निस्तारण तक विद्युत आपूर्ति विच्छेदन की कोई कार्रवाई न की जाए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंच विभागीय त्रुटि को ध्यान में रखते हुए मुझे न्याय प्रदान करेंगें।"

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1510, दिनांकित 13/03/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता का विद्युत मीटर दिनांक 11.03.2025 को बदला गया परन्तु अवर अभियन्ता (मीटर) द्वारा RAPDRP पोर्टल में मीटर संख्या GU195480 दर्ज की गयी थी जबकि परिसर पर स्थापित वास्तविक मीटर संख्या GU195840 है जिसे अवर अभियन्ता (मीटर) द्वारा RAPDRP पोर्टल में दिनांक 06.02.2026 को सही किया गया जिसके उपरान्त वास्तविक उपभोग के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है साथ की सम्बन्धित अवधि का LPS घटा दिया गया है, प्रमाण हेतु Consumer Ledger Details की संलग्न है। अतः उक्त वाद सम्बन्ध में आपको आख्या एवं उपभोक्ता मीटर की एम०आर०आई० रिपोर्ट संलग्न कर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता का विद्युत मीटर दिनांक 11.03.2025 को बदला गया परन्तु अवर अभियन्ता (मीटर) द्वारा RAPDRP पोर्टल में मीटर संख्या GU195480 दर्ज की गयी थी जबकि परिसर पर स्थापित वास्तविक मीटर संख्या GU195840 है जिसे अवर अभियन्ता (मीटर) द्वारा RAPDRP पोर्टल में दिनांक 06.02.2026 को सही किया गया जिसके उपरान्त वास्तविक उपभोग के आधार पर बीजक संशोधित कर दिया गया है साथ ही सम्बन्धित अवधि का LPS घटा दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया।

परिवादी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 23.03.2026 को लिखित रूप से मंच को अवगत कराया गया है कि वह संशोधित बिल से पूर्ण रूप से संतुष्ट है एवं वे वाद आगे नहीं चलाना चाहते है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

25/03/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/03
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 137 / 2025

श्री पापिया दत्ता , — परिवादी
निवासी– मकान नं0 482,
लेन नं0–7, विजय पार्क
एक्सटेंशन, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 27.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint with regard to defective electricity meter and subsequent overcharging of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

" *This is to inform you that Electric Meter Box, as referred above, has been defective and out of service for the last four months. The house is empty with caretaker in garage premises, as we do not stay there and occasionally visit Dehradun and stay in our house. Monthly bill in such case with meter working comes to around Rs 1200/- (approx..). A copy of the previous electricity bill is attached for reference.*

However, since the meter has malfunctioned, I have been charged with an average monthly amount of Rs 3000/- (approx..) for the last four months which is grossly overcharged. Picture of the faulty meter box is attached for reference.

Telephonic complaints have been registered to this effect three times in recent past and each time the technician comes but returns back without repairing the meter box and overcharging of electricity consumption continues.

In view of the above, I propose the following:

- ***Change the defective meter box with new one or repair as per standard***
- ***Adjust the overcharged amount in subsequent electric bills***

I am out of Dehradun and hence cannot be present physically to pursue the case. As such, ***I do hereby authorize my neighbor Mr. Rajesh Wadhwan (Aadhar Card No. 971886097649)*** *to pursue the case and attend the hearing to settle the case on my behalf."*

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1446, दिनांकित 23/03/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता श्री पापिया दत्ता, 482, लेन नं0 7, विजय पार्क एक्स्टेंशन, देहरादून के विद्युत संयोजन संख्या SD76112080835 पर चैक मीटर स्थापित किया जाये, के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1358/वि.वि.उ.ख.व.वि./उ.शि.नि.मं. दिनांक 19.02.2026 से सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण) देहरादून को उपरोक्त उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर स्थापित कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु कहा गया था। जिसके सन्दर्भ में सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण) देहरादून कार्यालय ने उपभोक्ता के संयोजन पर चैक मीटर स्थापित करने एवं उसे फाइनल करने की सीलिंग उपलब्ध कराई है। चैक मीटर सीलिंग के अनुसार चैक मीटर दिनांक 21.02.2026 को लगाया गया एवं दिनांक 09.03.2026 में फाइनल हुआ। उक्त अवधि में उपभोक्ता के यहाँ स्थापित मीटर संख्या 15578375 में 145 यूनिट खपत दर्ज हुई एवं चैक मीटर संख्या 97717439 में 143 यूनिट खपत दर्ज हुई है, इस प्रकार उपभोक्ता का मीटर तेज चलना नहीं पाया गया है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि चैक मीटर सीलिंग के अनुसार चैक मीटर दिनांक 21.02.2026 को लगाया गया एवं दिनांक 09.03.2026 में फाइनल हुआ। उक्त अवधि में उपभोक्ता के यहाँ स्थापित मीटर संख्या 15578375 में 145 यूनिट खपत दर्ज हुई एवं चैक मीटर संख्या 97717439 में 143 यूनिट खपत दर्ज हुई है, इस प्रकार उपभोक्ता का मीटर तेज चलना नहीं पाया गया है। दिनांक 23.02.2026 को सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि चैक मीटर लगाते समय परिवादी के यहाँ स्थापित मीटर में 31132 रीडिंग पाई गई जिस के आधार पर परिवादी का बिल संशोधित किया जाना है।

परिवादी द्वारा अगली सुनवाई तिथि दिनांक 23.03.2026 को लिखित रूप से मंच को अवगत कराया गया है कि वह संशोधित बिल से पूर्ण रूप से संतुष्ट है एवं वे वाद आगे नहीं चलाना चाहते है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित वर्तमान विद्युत मापक को अविलंब स्मार्ट मीटर से परिवर्तित करना सुनिश्चित करें। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-3-2026 27/03/26 27/03

(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रो0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 143/2025

श्रीमती पार्वती देवी,
निवासी–ग्राम धनयाडी,
पो०ओ० बडासी ग्रान्ट,
रायपुर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 12.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्राथीर्नी का विद्युत कनेक्शन सख्या–9761702228198 व खाता संख्या–421017741 है जिसका विगत पाँच माह से बिल की धनराशि किन्ही कारणों से बढ कर आ गयी थी जिसके सम्बन्ध में प्राथीर्नी द्वारा बालावाला विद्युत घर में सूचना दी गयी थी लेकिन अभी तक बिल पूर्व की भाँति धनराशि बढ कर आ रहा है। जानकारी से पता चला है कि पूर्व के बिल रिडिंग वालों से रिकवरी होनी है। जिसके पश्चात् बिल में से 50,000/– से 55,000/– तक रिफंड होना है। अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त बिल में उपरोक्त बकाया धनराशि को ठीक करवाकर वर्तमान में चल रही रिडिंग के अनुसार बिल को सही करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1362, दिनांकित 07/03/2026 से मंच को अवगत करांया है *"कि उपभोक्ता श्रीमती पार्वती देवी का विद्युत बीजक माह जुलाई, 2025 में ज्यादा आने के उपरान्त उपभोक्ता*

द्वारा उपखण्ड कार्यालय, बालावाला को अवगत कराया गया था। जिसके पश्चात् उपभोक्ता के मीटर की एम.आर.आई. करायी गयी, जिसमें मीटर की रीडिंग सही पायी गयी। एम.आर.आई. के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि मै० टी०डी०एस० मैनेजमैन्ट कन्सल्टैन्ट प्रा० लि० द्वारा कार्योजित मीटर रीडिंग श्री राजकुमार द्वारा विद्युत संयोजन संख्या 9761702228198 (श्रीमती पार्वती देवी निवासी बडासी ग्रान्ट) की रीडिंग ली जाती थी, जिसमें इनके द्वारा वास्तिविक खपत के आधार पर विद्युत बीजक निर्गत नहीं किये गये एवं माह जुलाई, 2024 से माह अप्रैल, 2025 तक विद्युत बीजक वास्तविक से कम रीडिंग डालकर निर्गत किये जा रहे थें। माह जुलाई, 2025 में उक्त मीटर रीडर के स्थान पर अन्य मीटर रीडर द्वारा बिल वास्तविक रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये। उक्त के सम्बन्ध में मै० टी०डी०एस० मैनेजमैन्ट कन्सल्टैन्ट प्रा० लि० को उपखण्ड कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। उक्त विद्युत बीजक के सन्दर्भ में खण्ड कार्यालय द्वारा भी अधिशासी अभियन्ता, आर०ए०पी०डी०आर०पी०–(पार्ट–ए), वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड, देहरादून को पत्रांक 5728, वि०वि०ख०(रा०)/उपाकालि/देहरादून दिनांक 15.10.2025 प्रेषित किया गया। परन्तु अद्यतन मै० टी०डी०एस० मैनेजमैन्ट कन्सल्टैन्ट प्रा० लि० द्वारा ना ही कोई उत्तर दिया गया एव ना ही उपभोक्ता के विद्युत बीजक की धनराशि जमा करायी गयी। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त आख्या का संज्ञान लेते हुये परिवाद को निस्तारित करने की कृपा करें।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 01.01.2025 की रीडिंग 8431.2 Kwh, 01.02.2025 को रीडिंग 9444.6 Kwh, दिनांक 01.03.2025 को रीडिंग 10186.4 Kwh, दिनांक 01.04.2025 को रीडिंग 10963.8 Kwh, एवं दिनांक 01.05.2025 को रीडिंग 11956.5 Kwh एम0आर0आई0 रिपोर्ट में अंकित है तथा कन्ज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री में क्रमशः दिनांक 17.01.2025 को रीडिंग 1492 Kwh, दिनांक 19.02.2025 को रीडिंग 1655 Kwh, दिनांक 23.03.2025 को रीडिंग 1807 Kwh, एवं दिनांक 25.04.2025 को रीडिंग 1945 Kwh अंकित की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रति माह वास्तविक रीडिग से कम रीडिंग के विद्युत बीजक निर्गत किये जा रहे थे। विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के साथ संलग्न पत्र में स्वयः भी स्वीकार किया गया है कि *"M/s TDS Pvt. Ltd द्वारा*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपभोक्ता (Mrs. Parvati Devi) को प्रति माह वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बीजक निर्गत न किये जाने के कारण उपभोक्ता को एक बार में ही वास्तविक रीडिंग का विद्युत बीजक निर्गत किया गया।''

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.2.1(2)*** के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिस के क्रम में विपक्षी वास्तविक मीटर रीडिंग पर ही आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिये बिल जारी करेगा।।

बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित बिल के पूर्व में विपक्षी द्वारा परिवादी को मीटर्ड यूनिट के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किये गये है। उपरोक्त विनियम के आलोक से मंच का मत है कि वह सभी वास्तविक खपत के बिल है जो पूर्णतः सही है। विपक्षी द्वारा परिवादी को माह 07/ 2025 एवं 08/2025 मे 6206 यूनिट (4471+ 1735) का बिल निर्गत किया गया जिसे परिवादी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योकिं परिवादी के अनुसार यह बिल पूर्व बिलों की तुलना में अत्याधिक राशि का है।

मंच का मत है कि मीटर रीडर द्वारा विवादित बिल चक्र से पूर्व लम्बी अवधि से वास्तविक रीडिंग से कम रीडिंग अंकित की जा रही थी एवं एकाएक बिल चक्र 07/ 2025 एवं 08/2025 में 2 किलोवाट स्वीकृत संयोजन पर 6206 यूनिट (4471+ 1735) की विद्युत खपत दर्शायी गई है, जो कि माननीय् ***UERC*** के उपरोक्त विनियमों का उल्लघन है, जिसे मंच स्वीकार नहीं करता है, ऐसी दशा में परिवादी को बिल चक्र 07/2025 एवं 08/2025 में प्रेषित विद्युत बीजकों निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों पूर्व के तीन उपलब्ध बिल चक्रों यथा 04/2025, 03/2025 एवं 02/2025 की औसत खपत 151 यूनिट (138+152+163)/3 के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
U.J.V.N. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail -- cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि में परिवादी को बिल चक्र 07/ 2025 एवं 08/2025 में प्रेषित विद्युत बीजकों को निरस्त कर उक्त विद्युत बीजकों को पूर्व के तीन उपलब्ध बिल चक्रों यथा 04/2025, 03/2025 एवं 02/2025 की औसत खपत 151 यूनिट (138+152+163)/3 के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उपखण्ड अधिकारी की आख्या पत्रांक संख्या 1362 दिनांक 07.03.2026 से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा परिवादी को कम रीडिंग के बिल निर्गत किये जा रहे थें, जिस कारण परिवादी द्वारा एकाएक अत्याधिक धनराशि का बिल प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति मंच के समक्ष रखी। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और पूर्व उपलब्ध तीन बिल चक्रों की औसत खपत पर संशोधित करने का आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानी हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष ऐसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि accumulated reading से सबंधित शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

12/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 144 / 2025

डॉ0 गांधी सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री जीत सिंह चौहान — परिवादी
निवासी– 7 / 121 टर्नर रोड़, अशोक भट्टा के समीप,
सी–24 क्लेमेंट टाउन, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 25.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *"बिल के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर मेरी शिकायत प्रार्थना पर विचार करने तथा उपयुक्त निवारण करने की प्रार्थना है:–*

1. यह कि प्रार्थी 1985 से पिछले 40 वर्षों से उपभोक्ता है तथा पिछले बिल दिनांक 22.08.2025 तक नियमित रूप से तथा समय पर बिल भुगतान करता आया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो.
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

2. यह कि सितम्बर, अक्टूबर, नवंबर 2025 का बिल प्राप्त नहीं हुआ था तथा इस संबंध में क्लेमेंट टाउन बिजली दफ्तर को मौखिक शिकायत भी की गई थी। जिस पर प्रत्युत्तर में कहा गया कि बिल दिसंबर में आ जाएगा।
3. यह कि प्रार्थी पिछले दो वर्षो से नियमित रूप से बिल का भुगतान ऑनलाइन द्वारा करता रहा है।
4. यह कि जनवरी 2026 में whatsapp मेसेज द्वारा सूचित किया गया कि 15.01.2026 तक का बिल रू0 22,920/– का और भुगतान की अंतिम तिथि 30.01.2026 है।
5. यह कि उपरोक्त बिल जोकि 22,920/– का है, अविश्वसनीय है क्योंकि दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का बिल रू0 8932/– का है। जिसका विवरण निम्न है–
   i. बिल दिनांक 25.12.2025 रू0 1517/– भुगतान – 04.01.2025
   ii. बिल दिनांक 26.01.2026 रू0 1208 /– भुगतान – 31.01.2025
   iii. बिल दिनांक 24.02.2025 रू0 1872/– भुगतान – 06.03.2025
   iv. बिल दिनांक 22.03.2025 रू0 826/– भुगतान – 06.04.2025
   v. बिल दिनांक 21.04.2025 रू0 2144/– भुगतान – 06.05.2025
   vi. बिल दिनांक 22.08.2025 रू0 1370/– भुगतान – 29.08.2025

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

6. *उपरोक्त वर्णित चुकता बिल 06 माह के हैं। जिसका कुल भुगतान बिल के अनुसार 8932/– है। जबकि दिनांक 23.08.2025 से 15.01.2026 तक कुल 05 माह का बिल रू0 22,920/– का है जो लगभग तीन गुना अधिक है। जिसके कारण निम्नलिखित हो सकते है:–*
   i. *मीटर द्वारा सही रीडिंग न देना।*
   ii. *मीटर का खराब होना/अत्याधिक बिल देना।*
   iii. *मीटर में छेडछाड किया जाना।*
   iv. *अन्य तकनीकी कारण।*
7. *यह कि प्रार्थी 3 दिसंबर 2025 से आज तक देहरादून से परिवार समेत बाहर (आउट स्टेशन) है, बावजूद इसके इतना अत्यधिक बिल चार्ज का आना आपत्तिजनक एवं अनावश्यक है।*
8. *महोदय, मैंने जनवरी 2026 के आखिरी दिनों में पार्ट बिल का भुगतान करने की कोशिश ऑनलाइन तथा कार्यालय में जमा करने की कोशिश की किंतु पार्ट पेमेंट नहीं हो पाया (नहीं स्वीकार) किया गया।*
9. *अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरी इस गंभीर शिकायत का निवारण करने की कृपा करें एवं मुझे रू0 5000 की पार्ट पेमेंट करने की इजाजत दें जब तक मेरी इस शिकायत का निवारण ना हो।*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 177 दिनांकित 18/02/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं0 SD15537049669 के सापेक्ष बिल*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अधिक आने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को बिल मापक की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही प्रेषित किया गया है।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 252 दिनांकित 16/03/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि" *आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं0 SD15537049669 के सापेक्ष बिल अधिक आने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर नहीं लगाया जा सका, क्योंकि दिन के समय स्थापित मीटर पर डिस्प्ले नहीं आ रही है, (सीलिंग प्रमाण पत्र) एवं साथ ही एम0आर0आई0 भी नहीं हो पा रही है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 23/07/2025 से 15/01/2026 अर्थात् 177 दिनों का विद्युत मापक संख्या 32133736 का विद्युत बिल कुल 3512 यूनिट का प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद। विपक्षी द्वारा दो विद्युत बिलों 08/2025 एवं 01/2026 में मीटर संख्या 32133736 में दर्शायी गयी 3512 यूनिट की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के 2 KW स्वीकृत विद्युत भार तथा पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 19.84 अर्थात् 20 (3512/177) यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। सम्भवतः परिवादी का मीटर उक्त अवधि में तकनीकि खराबी के कारण जंप किया होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के क्रम में मंच का मनना है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 32133736 आई0डी0एफ0 था, जिसकी पुष्टी विपक्षी की आख्या से भी हो जाती है क्योकिं जब विपक्षी के कर्मचारी परिवादी के परिसर पर चैक मीटर स्थापित करने गये तो परिवादी के विद्युत मापक में उक्त समय से डिस्प्ले नहीं आ रही था, एंव उक्त विद्युत मीटर की एम0आर0आई0 भी नहीं हो पा रही है। मंच का मत है कि परिवादी को माह 01/2026 में मीटर संख्या 32133736 के आधार पर प्रेषित 3512 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन लगातार मीटर्ड यूनिट बिल चक्रों में खपत यथा 03/2025, 02/2025 एवं 01/2025 की ~~औसत खपत~~ औसत खपत 228.66 अर्थात् 229 यूनिट (176+301+209)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को माह 01/2026 में मीटर संख्या 32133736 के आधार पर प्रेषित 3512 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन लगातार मीटर्ड यूनिट बिल चक्रों यथा 03/2025, 02/2025 एवं 01/2025 की औसत खपत 228.66 अर्थात् 229 यूनिट

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

(176+301+209)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित करें तथा परिवादी के परिसर पर स्थातिप विद्युत मापक संख्या 32133736 को अविलंब स्मार्ट मीटर से परिवर्तित करना सुनिश्चित करें एवं यदि परिवादी द्वारा जमा कराये गये चैक मीटर शुल्क को परिवादी के विद्युत बिलों में समायोजित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

25/03/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

25/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 145/2025

मै0 शमीम अहमद,
निवासी–चूना भटटा, रायपुर रोड,
स्काई ग्लास एन्ड हार्डवेयर,
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 11.03.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी शमीम अहमद जिसका कनैक्शन संख्या 7021322126329 चूना भटटा रायपुर रोड़ पर स्थित है जो कि एक घरेलू कनैक्शन है बिते दिनों मेरा भी मीटर चैंज हुआ जो कि इलैक्ट्रानिक स्मार्ट मीटर लगा जिसका मुझको संज्ञान नहीं था उसके बाद मेरा बिल अप्रत्याशित रूप से ज्यादा आया मैंने बिजली दफ्तर सहस्त्रधारा रोड पर सम्पर्क किया जो कि मुझको आश्वासन देते रहे कि सही हो जायेगा लेकिन नही हुआ उसके पश्चात वो बिल बढता रहा और बिल जब (90000) नब्बे हजार का हुआ तो वह मेरी लाइन काटने आ गये तत्पश्चात् मैने (30000) तीस हजार का चैक दिया अभी बाकी बिल (6100) बकाया बता रहे है। महोदय से अनुरोध है कि मेरी समस्या का उचित निवारण करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 921, दिनांकित 18/02/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता मै0 शमीम अहमद, निवासी– चूना भट्टा रायपुर रोड, स्काईग्लास एन्ड हार्डवेयर, देहरादून*

.ty Consumer Grievance Redressal Forum
wal Zone)
..VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

का विद्युत संयोजन संख्या 7021322126329 घरेलू विधा में तीन किलोवाट विद्युत भार का संयोजित है। उक्त संयोजन पर लगा पुराना मीटर दिनांक 20.05.2025 को बदला गया तथा पुराने मीटर में रीडिंग 13054 पायी गयी। उपरोक्त रीडिंग के आधार पर दिनांक 09.12.2024 से 31.01.2026 तक उपभोक्ता का विद्युत बीजक संशोधित कर दिया गया है (संशोधित बिल एवं उपभोक्ता की हिस्ट्री संलग्न) संशोधन के उपरान्त विद्युत बिल को पुनः संशोधित कर पाना सम्भावित नहीं है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 09.02.2025 से 20.05.2025(मीटर बदले ने की तिथि) अर्थात् 101 दिनों की अवधि में एकाएक व 8694 यूनिट का विद्युत बिल प्रेषित किया गया, जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

परिवादी के 3 KW स्वीकृत विद्युत भार पर विवादित बिल चक्र से पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 86.07 अर्थात् 86 (8694/101) यूनिट की विद्युत खपत तर्कसंगत नही लगती। सम्भवतः परिवादी का मीटर उक्त अवधि में तकनीकि खराबी के कारण जंप किया होगा।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मनना है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 15587857 आई0डी0एफ0 था।

मंच का मत है कि परिवादी को माह 06/2025 में पुराने मीटर संख्या 15587857 के आधार पर प्रेषित 8694 यूनि के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 02/2025, 12/2024 एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

10/2024 की औसत खपत 206 यूनिट (170+204+244)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित किया जाना तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 06/2025 में पुराने मीटर सख्या 15587857 के आधार पर प्रेषित 8694 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् ***UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION*** के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानो के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन एम0यू0 बिल चक्रों यथा 02/2025, 12/2024 एवं 10/2024 की औसत खपत 206 यूनिट (170+204+244)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार संशोधित करे तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाये, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

(रजनीश माथुर) 11/03/26
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 150/2025

श्री भास्करानंद पाण्डे
निवासी– जी0टी0एम0ए फोरेस्ट एण्ड हिल
टावर 402,मोखमपुर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 27.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the inflated electricity bill issued by UPCL.

The Complainant submits and prays as under:-

"That the present complaint/grievance petition is directed against the abnormal units charged through bill dated 07.01.2026 for the 20.08.2025 to 31.12.2025. where by the

*UPCL has assessed additional 10601units against complainant / A true copy of the impugned bill is annexed herewith and marked as ANNEXURE-*1.

1. *That the factual matrix leading to filing the present grievance petition are detailed herein below:-*

   i. *That the petitioner/complainant is a domestic consumer with a contract load of 5KW vide Cable/Connection No. 9771325905950, Account No. 42000972899 from the respondent in the above premises and has been regularly paying the consumption charges as per demands being raised by the UPCL/ respondent through monthly bills and there has been no default on the part of the complainant since the connection was released.*

   ii. *That the respondent bill dated 07.01.2026 has been received wherein, abnormal 10601 units was foundtotalling the bill amount to Rs 81,603.*

   iii. *That the complainant immediately visited the office of the respondent to enquire about the abnormal units and denied any such consumption whatsoever. To this effect the complainant also discussed the case with higher officers of respondent However, the grievances have not been settled.*

2. *That being aggrieved with the impugned bill by UPCL, the complainant is approaching this Ld. Forum by way of the present grievance petition on the following amongst other ground :-*

    a) *BECAUSE the impugned bill has been issued by in a most illegal, obscure, erroneous, arbitrary, unwarranted, perverse, irregular and unjust manner in clear violation of the settled proposition of law resulting in manifest injustice and causing serious prejudice to the complainant and hence, the same deserves to be quashed and set aside.*

    b) *BECAUSE the meter has been declared IDF by respondent themselves has now been replaced without providing any sealing certificate pertaining to replacement of defective meter.*

    c) *BECAUSE the IDF meter was removed without sealing the same as per the procedure and without using tamper proof box and which is now in the custody of respondent.*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

d) *BECAUSE in the impugned bill final reading has been written as 24137 KWH which is not true. The defective IDF meter was never get tested by the respondent from the Electricity Inspector or any approved third party as provided in Hon'ble UERC Electricity Regulations, 2020. In such scenario no data of defective meter can be relied upon.*

e) *BECAUSE the meter under dispute has already been replaced by the respondent. Thus, the complainant has left with no option to get the meter tested from the Electricity Inspector or any approved Third party as provided in the UERC Supply Code Regulations 2020. Thus, when the material evidences, being the meter itself, has been lost by the act of respondent, there is no occasion for the respondent to raise any assessment whatsoever, on its basis.*

f) *BECAUSE it is well settled proposition of law that a person cannot be penalized or asked to pay undue amount by the State without the same actually having been fallen due and is not permissible in law.*

g) *BECAUSE no tampering of the metering system was done by the petitioner/complainant and also no allegations regarding the same has been levelled by the respondent.*

h) *BECAUSE the jurisdiction of testing of defective meter lies with the Electricity Inspector as per 5.1.3(12) of Hon'ble UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and related Matters) Regulation, 2020.*

i) *BECAUSE the complainant cannot consume 10601 units for the period under depute as alleged in the impugned bill.*

3. *That under the above circumstances, complainant is left with no alternative but to approach this Hon'ble Forum by way of present grievance petition for necessary relief and redressal. It is humble and respectful submission of the petitioner/complainant that, the amount raised via impugned bill is liable to be quashed and set aside by this Ld. Forum.*

4. *That there is no efficacious alternative remedy available to the petitioner/complainat for the relief prayed for in this petition/complaint.*

5. *That the petitioner/complainant has not previously filed a similar grievance petition in this Hon'ble Forum, in the High Court or in any other Court/Forum in India.*
6. *That this grievance petition is filed bonafide in the interest of justice and without delay.*

In the premises aforesaid, it is most humbly and respectfully prayed that this Hon'ble Forum may graciously be pleased to: -

a) *Call for records of the case for perusal;*
b) *Quash and set aside impugned bill dated 07.01.2026 for being the same illegal, arbitrary, perverse, mala fide and unjust.*
c) *Issue necessary directions to the UPCL/respondent not to disconnect the electricity supply of the complainant's Unit on his being made regular consumption charges and not to take any other coercive action till the final decision of the present grievance petition.*
d) *Pass any other order or direction, which this Hon'ble Forum may deem fit and proper, on the facts and circumstances and in the interest of justice."*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 242 दिनांकित 20/02/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि *"उक्त क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर एपार्टमेंट के ग्राऊण्ड फ्लोर/पार्किंग एरिया पर बनाये गये LT Panels पर स्थापित है। उपभोक्ता के हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता के बिल मार्च–2024 से जून–2024 तक RDF एवं जुलाई–2024 से अगस्त–2025 तक IDF के आधार पर निर्गत किये गये, उक्त संबंध में उक्त अवधि में सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत मीटर रीडर से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि संम्भवतः मीटर के बॉक्स पर धूल जमने से मीटर की Display पर रीडिंग सही प्रकार से न दिखाई देने के कारण उनके द्वारा बिल IDF/RDF पर निर्गत किये गये। 04 दिसम्बर 2025 में इनके पुराने मीटर के स्थान पर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया, जिसमें इनके मीटर को चैक करने पर मीटर पर अन्तिम रीडिंग 24137 KWH पाई गई। उपभोक्ता के अन्तिम MU बिल माह फरवरी–2024 में निर्गत किया गया था, जिसमें रीडिंग 13728 KWH थी, एवं माह दिसम्बर 2025 में मीटर सही पाये जाने पर सिस्टम द्वारा 10601 यूनिट का बिल रू0 81603 जनरेट हुआ। इसके पश्चात् अपीलकर्ता द्वारा अधिक बिल आने के कारण विभाग को सूचित किया गया। इसके उपरान्त परीक्षण उपखण्ड आराघर द्वारा इनके पुराने मीटर की MRI उपलब्ध करवाई गई, जिसमें इनके मीटर की अन्तिम यूनिट 24137 KWH पाई गई, एवं गत एक वर्ष में भी इनके मीटर पर प्रत्येक माह में मीटर रीडिंग सही प्रकार से चलती हुई पाई गई (MRI संलग्न)। इसके पश्चात् विभाग द्वारा इनके बिल को माह मार्च–2024 से दिसम्बर–2025 तक वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित किया गया, एवं इनके बिल में से 32077.11 रू0 घटाये गये, एवं उपभोक्ता का वर्तमान बिल रू0 51143 है।"*

1

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 26.03.2024 से 07.01.2026 अर्थात् उपलब्ध कराये गये 16 बिलों को RDF/IDF के आधार पर जारी किया गया, जिस पर परिवादी को आपत्ति है। परिवादी का मीटर दिनांक 04.12.2025 को विपक्षी द्वारा बदल दिया गया।

यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.2.1(7) बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.2.1(7) "Provisional billing (NA/NR/IDF/ADF/RDF billing based on average consumption) shall not be for more than two billing cycle. In case meter is rendered inaccessible for two consuctive billing cycle, action as per Clause (7) of Sub-Regulation 5.1.2 shall be enforced"

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 26.03.2024 से 07.01.2026 तक उपलब्ध कराये गये RDF/IDF बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 14 विद्युत बिलों को

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 07.01.2026 को निर्गत बिल में केवल नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 26.03.2024 से 07.01.2026 तक उपलब्ध कराये गये RDF/IDF बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 14 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाये एवं दिनांक 07.01.2026 को निर्गत बिल में नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखते हुए संशोधित विद्युत बिल जारी करें। संशोधित विद्युत बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा । विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी की आख्या पत्रांक संख्या 242 दिनांक 20.02.2026 के साथ संलग्न एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि मीटर रीडर की लापरवाही के कारण परिवादी को RDF/IDF के बिल निर्गत किये जा रहे थे। पुराने मीटर को स्मार्ट मीटर से बदले जाने के समय उजागर हुआ कि स्थापित मीटर ठीक काम कर रहा है पर मीटर बॉक्स पर धूल जमने से मीटर की Display पर रीडिंग सही प्रकार से नहीं दिख रही थी जिस कारण मीटर रीडर द्वारा ठीक काम कर रहे मीटर को अपने अधिकारियों को बिना पूर्व सूचना के RDF/IDF श्रेणी में डाल दिया जो कि एक घोर लापरवाही है। मंच द्वारा अपने उपरोक्त मत के क्रम में विवादित बिल को निरस्त कर दिया गया और माननीय् उत्तराखण्ड नियामक आयोग के उपरोक्त विनियम अनुसार बिल

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संशोधन करने हेतु आदेश विपक्षी को दिया जिस कारण विपक्षी को वित्तीय हानि हुई। पूर्व मे भी मंच के समक्ष एसे मामले सामने आए है, जिस में मंच द्वारा समरूप निर्णय लिये गये है। विपक्षी के मीटर रीडर द्वारा लगभग 1 5 साल से अधिक परिवादी को आर0डी0एफ एवं आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल बनाकर प्रेषित किये गये, जिसका संज्ञान विपक्षी के किसी भी सक्षम कार्मिकों द्वारा नही लिया गया है जो कि एक घोर लापरवाही का धोतक है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से बिलिंग एजेंसी की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि provisional billing की शिकायतों में कमी आ सके जिससे विभाग एवं प्रदेश को होने वाली राजस्व हानि से बचा जा सके। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

27/03/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 154/2025

श्री राजेश सिंह राणा — परिवादी
निवासी– रघुनाथपुर भुड्डी, शिमला रोड,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 24.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *प्रार्थी राजेश सिंह राणा (रघुनाथपुर भुडी देहरादून) अकांउट नं0 41801481440 कनेक्शन नं0 MP21426226344 मीटर नं0 84570200। महोदय दिसम्बर माह का बिजली बिल 7854.00 रुपये आया जो कि बहुत ज्यादा है, प्रार्थी के घर में कोई भी Connection मकान का कार्य नही चल रहा है। प्रार्थी ने EDSD Ganeshpur , EDD Mohanpur में काफी दिनों से चक्कर काट रहा है लेकिन कोई रिसपोन्स नही मिला, प्रार्थी सेना से रिटायर्ड है प्रार्थी एक महीने का इतना बिल भुगतान नही कर सकता।*

प्रार्थी ने अपने घर की पूरी अर्थिंग भी चैक करा दिया है और 1912 में शिकायत कर चैक मीटर भी लगाया है, परन्तु प्रार्थी को कोई संतोषजनक फैसला नही मिला। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी की समस्या का समाधान किया जाये प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5958 दिनांकित 25/02/2026 से मंच को बिन्दुवार अवगत कराया गया है:–

"बिन्दु संख्या 1– उपभोक्ता का वर्तमान बिल व इससे पहले निर्गत बिल उनके द्वारा की गई वास्तविक खपत के अनुसार ही निर्गत किये गयें है।

बिन्दु संख्या 2– उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर लगवाने हेतु आवेदन किया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 30.01.2026 को उपभोक्ता के परिसर पर मेन मीटर के साथ चैक मीटर लगा दिया गया और दिनांक 07.02.2026 को चैक मीटर की आख्यानुसार दोनों मीटर बराबर पाये गयें, अर्थात मेन मीटर व चैक मीटर में कोई अन्तर नहीं पाया गया।

बिन्दु संख्या 3– साथ ही अवगत कराना है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 15.12.2021 को भी चैक मीटर लगवाने हेतु आवेदन किया गया था, उस समय भी उपभोक्ता के मेन मीटर व चैक मीटर बराबर पाये गये थे।

अतः उपभोक्ता के विद्युत बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन अवशेष नही है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा है, परन्तु दिनांक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone),
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

06.12.2025 से दिनांक 07.01.2026 अर्थात् 33 दिनों के एक विद्युत बिल चक्र में एकाएक 1065 यूनिट (1065/33 = 32.27 यूनिट प्रतिदिन) रू0 7854.00 धनराशि का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कमी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

पत्रावली पर उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अवलोकन से मंच के संज्ञान मे आया कि दिनांक 19.12.2025 की मीटर रीडिंग 14535.5 KWH थी एवं दिनांक 20.12.2025 की मीटर रीडिंग 14544.2 KWH थी जिसके अनुसार परिवादी के एक दिन की विद्युत खपत 8.7 यूनिट दर्ज की गई इसके पश्चात् दिनांक 21.12.2025 की रीडिंग 14551.8 KWH थी जिसके अनुसार परिवादी की एक दिन की विद्युत खपत 7.6 यूनिट दर्ज की गई। दिनांक 22.12.2025 को परिवादी के विद्युत मापक में रीडिंग 14896 KWH दर्ज की गई जिसके अनुसार परिवादी की एक दिन की विद्युत खपत 344.2 यूनिट दर्ज की गई तथा दिनांक 23.12.2025 को परिवादी के विद्युत मापक में रीडिंग 15356.3 KWH दर्ज की गई जिसके अनुसार परिवादी की एक दिन विद्युत खपत पुनः 460.3 यूनिट दर्ज की गई, पुनः दिनांक 24.12.2025 को परिवादी के विद्युत मापक में रीडिंग 15367.6 KWH दर्ज की गई जिसके अनुसार परिवादी की एक दिन विद्युत खपत पुनः 11.5 यूनिट दर्ज की गई , जिससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 23.12.2025 से दिनांक 24.12.2025 2 दिनों के अंतर्गत विद्युत मीटर में कोई तकनीकि खराबी उत्पन्न हुई जिस कारण मात्र 2 दिनों में 804.2 यूनिट उपभोग दर्शाया गया है जो कि 804.2/2= 402.1 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है। 2 किलोवाट के संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी प्रतिदिन 402.1 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसी दशा में परिवादी को माह 01/2026 में प्रेषित विद्युत बीजक

निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 12/2025, 11/2025 एवं 10/2025 की औसत खपत 289.99 यूनिट अर्थात् 290 यूनिट (253+141+475)/3 यूनिट पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को माह 01/2026 में प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों यथा 12/2025, 11/2025 एवं 10/2025 की औसत खपत 289.99 यूनिट अर्थात् 290 यूनिट (253+141+475)/3 यूनिट पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या 84570200 को अविलंब स्मार्ट मीटर से परिवर्तित कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुन इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

24-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

24/03/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

24/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

-tricity Consumer Grievance Redressal Forum
.nwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 155/2025

श्री भागेन्द्र सिंह चौहान, — परिवादी
निवासी– नारायण विहार, टी.एच.डी.सी.,
लाईन नं0– 10, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 20.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा बिजली का बिल जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर वर्ष 2024 व जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 तक अधिक आया है। जिस पर मैंने विद्युत विभाग को अवगत कराया। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी का बिल दिनांक 11/07/2024 से 17/03/2025 तक ठीक करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 251, दिनांकित 16/03/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है *"कि आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या SD25714139542 के सापेक्ष बिल अधिक आने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को उनके परिसर पर लगे मापक की रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किया गया है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त मीटर की एम0आर0आई0 भी नहीं हो पा रही है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉंवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 11/07/2024 से 17/03/2025 अर्थात् 249 दिनों का पुराने विद्युत मापक संख्या G385284 का संशोधित विद्युत बिल कुल 11820 यूनिट का प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्रों के बाद। विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रस्तुत 249 दिनों मे (पुराने मीटर संख्या G385284 के अनुसार) 11820 यूनिट की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के 2 KW स्वीकृत विद्युत भार पर ए एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 47.46 अर्थात् 47 (11820/249) यूनिट की विद्युत खपत संभव नहीं है। सम्भवतः परिवादी का मीटर उक्त अवधि में तकनीकि खराबी के कारण जंप किया होगा, जिसकी आशंका के उपरान्त विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल को दिनांक 11.07.2024 से दिनांक 17.03.2025 तक 11820 यूनिट के आधार पर संशोधित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मनना है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या G385284 आई0डी0एफ0 की श्रेणी मे आता है। मंच का मत है कि परिवादी को दिनांक 11.07.2024 से दिनांक 17.03.2025 तक 11820 यूनिट के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों में खपत यथा 06/2024, 05/2024 एवं 04/2024 की औसत खपत 103.33 अर्थात् 103 यूनिट (146+119+45)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये स्मार्ट मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को दिनांक 11.07.2024 से दिनांक 17.03.2025 तक 11820 यूनिट के आधार पर प्रेषित विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम ***UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020*** के विनियम ***5.1.7(1)*** के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों में खपत यथा 06/2024, 05/2024 एवं 04/2024 की औसत खपत औसत खपत 103.33 अर्थात् 103 यूनिट (146+119+45)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाये तथा नये स्मार्ट मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाये। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20-3-2026	20/03/26	20/03/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 158/2025

श्रीमती कमला देवी,
निवासी–तुंतोवाला, पो०ओ०
मेहुवाला, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 12.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं कमला देवी गांव तुंतोवाला की निवासी हूँ। महोदय कुछ समय पहले विभाग के कुछ लोग मेरे घर मे उपस्थित ना होने के बाद मेरा पुराना मीटर ले गए तथा उसके बदले नया मीटर लगा गए, मुझे इस बात का तब पता चला जब मुझे मेरा बिजली का बिल 27,000 (सताईस हजार) के करीब भेज दिया गया। मैं हर महीने अपना बिल समय से भरती हूँ। जब मैंने इसके बारे में गणेशपुर बिजली विभाग के ऑफिस में पता किया तो मुझे बताया गया की आपके पुराने मीटर की रिडिंग बकाया है महोदय मै अपना बिल कई सालों से नियमित रूप से पेय कर रही हूँ। उसके बावजुद मुझे विभाग द्वारा इतना बिल भेजा गया और मेरी लाईट काट दी गई। महोदय मैं*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

लगभग 61 साल की वृद्ध महिला हूँ, मेरे पति इस दुनिया में नहीं है मैं अपने जीवन का गुजारा बहुत ही मुश्किल से करती हूँ मैं अक्सर बिमार रहती हूँ। महोदय मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है की मुझे विभाग से न्याय दिलाया जाए और मुझे मेरा पुराना मीटर दिलाया जाए अगर मेरे पुराने मीटर से मेरे द्वारा कोई गलती बिल भरने में रही है तो मै बिल भरने की पुरी–पुरी कोशिश करुंगी। महोदय आपसे यह भी प्रार्थना है कि विभाग द्वारा काटी गई बिजली को जुडवा दिया जाए जिससे मै बिमार इन्सान रात को अन्धेरे मैं ना रहूँ। महोदय मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी ही कारवाई करेंगें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 5977, दिनांकित 07/03/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है कि:–

1. *"संयोजन संख्या MP12112431235 के सापेक्ष दिनांक 04.10.2025 को उनके पुराने इलेक्ट्रोनिक मीटर को बदलते हुऐ नया स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया एवं पुराने इलेक्ट्रोनिक मीटर में 19365 रीडिंग प्रदर्शित हो रही थी, पुष्टि हेतु मापक की छायाप्रति रीडिंग सहित एवं मीटर परिवर्तन सीलिंग प्रमाण पत्र भी साथ में संलग्न कर प्रेषित है।*
2. *उक्त के सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा इस कार्यालय में आकर विद्युत बिल की जानकारी प्राप्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा उपभोक्ता को उनके पुराने मापक की फोटो भी दिखाई गई थी जिसमें 19365 रीडिंग स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अतः उसी के आधार पर उपभोक्ता का विद्युत बिल निर्गत किया गया है।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. उपभोक्ता के निवेदन पर M/s Garhwal Smart Metering Pvt. Ltd. को पत्रांक 5742 दिनांक 24.12.2025 एवं पुनः पत्रांक 5971 दिनांक 02.03.2026 के माध्यम से पुराना मापक संख्या L80017699 MRI हेतु प्रस्तुत करने को कहा गया था, परन्तु आतिथि तक भी उनके द्वारा मापक उपलब्ध नहीं कराया गया है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के बिल दिये जाते रहें, जिनका परिवादी नियमित रूप से ससमय भुगतान भी कर रहा था। विपक्षी द्वारा परिवादी का मीटर दिनांक 04.10.2025 को नये स्मार्ट मीटर से बदल दिया गया। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि पुराना मीटर उतारते समय उक्त विवादित मापक की रीडिंग 19365 यूनिट दर्शायी गई है, अर्थात् विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा 6 दिनों मे (दिनांक 29.09.2025 से दिनांक 04.10.2025 तक) 3189 (3420–231) यूनिट की विद्युत खपत की है, जो कि 531.5 अर्थात् 532 यूनिट प्रति दिन होती है। परिवादी को उक्त दर्शायी गई खपत पर आपत्ति है क्योंकि उनके अनुसार न तो इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

मंच द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि विवादित मापक संख्या L80017699 की पूर्ण एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करें, परन्तु विपक्षी द्वारा परिवादी के उक्त मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत किये जाने हेतु अस्मर्थता व्यक्त की गई।

परिवादी के स्वीकृत 2 किलोवाट विद्युत भार के घरेलू संयोजन पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 638 यूनिट प्रतिदिन की खपत मंच स्वीकार नहीं कर सकता है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर आई0डी0एफ0 है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उक्त से मंच का मत है कि परिवादी को माह 10/2025 में पुराने मीटर सख्या L80017699 के आधार पर प्रेषित 3189 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों में खपत यथा 09/2025, 08/2025 एवं 07/2025 की औसत खपत 293.33 अर्थात् 293 यूनिट (295+337+248)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित किया जाना तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत को यथावत् रखा जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि में परिवादी को माह 10/2025 में पुराने मीटर संख्या L80017699 के आधार पर प्रेषित 3189 यूनिट के विद्युत बीजक को निरस्त कर माननीय् *UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION* के विनियम *UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020* के विनियम *5.1.7(1)* के प्रावधानों के अनुसार उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों यथा 09/2025, 08/2025 एवं 07/2025 की औसत खपत 293.33 अर्थात् 293 यूनिट (295+337+248)/3 प्रति बिल चक्र के अनुसार पुराने मीटर की खपत संशोधित करें तथा नये मीटर द्वारा दर्शायी गई खपत यथावत रहेगी। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद

व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12-3-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

12/03/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 167/2025

Shri.Ajay Uniyal **V/s** **Executive Engineer, EDD, Rishikesh**

ORDER SHEET

Date- 16.03.2026

निर्णय

पत्रावली दिनांक 16.03.2026 को पेश हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित है। परिवादी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में ई–मेल के माध्या से दिनांक 09.03.2026 को अपनी संतुष्टी प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत विभाग द्वारा उन्हे तीन माह पूर्व से आवेदन करने पर भी शिकायत दर्ज कराये जाने की तिथि तक विद्युत संयोजन प्रदान नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को विद्युत संयोजन जारी किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करे।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत के क्रम में मंच को दिनांक 09.03.2026 को अवगत कराया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा उनकी मूल शिकायत का निवारण कर दिया गया है। अतः वह उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी ई–मेल के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16-3-2026

(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

16/03/26

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

16/03/26

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 168 / 2025

श्री मोहित कुमार,
निवासी–ग्राम कांवली (गांधी ग्राम),
संगत विहार, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 25.03.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी का निवास जिलाधिकारी महोदय द्वारा (आदेश संख्या 476/12A–45/87–90 दिनांक 30–05–1988) आवंटित ग्राम कांवली (गांधी ग्राम) संगम विहार, देहरादून में पट्टे पर आवंटित भूमि में स्थित है जिसकी प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित है। सादर अवगत कराना है कि मूल आवंटन मेरे पिता स्व0 श्री शिवलाल पुत्र श्री सुमैर चन्द के नाम किया गया था जैसा कि संलग्न खतौनी के पृष्ठ–3 पर क्रम संख्या पर दर्ज है। उक्त भूमि पर ही मेरे द्वारा अपने हिस्से पर एक छोटा सा निवास बनाया गया है। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे निवास पर विद्युत कनैक्शन देने हेतु उ०पा०का०लि० के संबंधित कार्यालय/ अधिकारी को निर्देशित/आदेशित करने का कष्ट करें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1510, दिनांकित 13/03/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि नगर निगम आयुक्त कार्यालय दिनांक 25.02.2023 के माध्यम से सभी नगर निगम स्वामित्व वाले क्षेत्रों में दिये जा रहे विद्युत संयोजनों को रोकने हेतु आग्रह किया गया था।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा स्वामित्व संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को अघरेलू संयोजन निर्गत नहीं किया गया।

परिवादी द्वारा उद्धैरण षष्ठवार्षिक ग्राम कॉवली परगना केन्द्रियदून तहसील जि0दे0दून 1364 फ0से0 खाता संख्या 2644 प्रस्तुत किया गया जिसके पृष्ठ संख्या तीन पर परिवादी के पिताजी श्री शिवलाल पुत्र सुमेर अंकित है, परिवादी के पिताजी उक्त भूमि पर नियामानुसार काब्जि थे, एवं उसी भूमि पर वर्तमान में परिवादी श्री मोहित कुमार ने छोटा सा निवास बनाया है।

यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 3.3.2(4)(a)(i) के द्वितीय परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा– "Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the **premises** by District Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction **premises** falls, the Licensee shall not grant new conncetion to such Applicant."

[Emphasis Added]

विपक्षी द्वारा माननीय् आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति मंच के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) के अन्तर्गत परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत करें। बिजली पाना परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी माननीय् **UERC** के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथन परन्तुक के अनुसार परिवादी से आवेदन कराया जाना न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुकः– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

25-3-2026	25/03/26	25/03/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य